न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

पीठासीन अधिकारी :– रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस.
नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या :– 407/2021
सी.आई.एस.सं. :– 407/2021

राजस्थान राज्य

बनाम

1. हाजी मोहम्मद याकुब सिसोदिया पुत्र छोटूजी सिसोदिया उम्र 72 वर्ष निवासी मिनारा मस्जिद के पास मकराना जिला डीडवाना कुचामन।
2. हाजी मोहम्मद युसुफ रांदड पुत्र अब्दुल हकीम उम्र 75 वर्ष निवासी मिनारा मस्जिद के पास मकराना जिला डीडवाना कुचामन। ।
3. हाजी खलील अहमद रान्दड पुत्र हाजी सराजुदीन रान्दड उम्र 62 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन।
4. हाजी मंजूर अहमद पुत्र मोहम्मद युसुफ रान्दड उम्र 55 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन।
5. हाजी मकसूद अहमद पुत्र मोहम्मद युसुफ रान्दड उम्र 48 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन।
6. हाजी अहमद रजा पुत्र मोहम्मद युसुफ रान्दड उम्र 38 वर्ष निवासी अमर होटल के सामने मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन।
7. सुफिया बेगम पत्नि हाजी मोहम्मद उमर उम्र 70 वर्ष निवासी होटल मोती महल के पास मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

–अभियुक्तगण

सरकार बनाम हाजी मोहम्मद
प्रकरण सं – 407/2021
सीआईएस प्रकरण सं – 407/2021
दिनांक – 01.06.2026

अपराध अन्तर्गत धारा 69, 70, 72बी, 73 एवं 72सी(1)(ए) खान अधिनियम 1952

उपस्थितः–

1. परिवादी की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री हितेन्द्र वैष्णव।
2. अभियुक्तगण की ओर सेः– विद्वान अधिवक्ता श्री खलील अहमद, शोएब रज़ा।

–::निर्णय::– **दिनांकः– 01.06.2026**

1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद बाबत् शिकायत प्रार्थना–पत्र अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 200 ए के तहत अपराध अंतर्गत धारा 69, 70, 72बी, 73 एवं 72सी(1)(ए) खान अधिनियम 1952 की अन्वीक्षा हेतु न्यायालय में मुख्य रूप से इस आश्य का पैश किया गया कि अभियुक्तगण की खान मे एक व्यक्ति के साथ घातक दुर्घटना घटित हुई जिसका सत्यापन किया गया व दिनांक 02.11.2020 को उक्त दुर्घटना का सत्यापन किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2021 को पत्रावली में उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया गया व अभियुक्त को तलब किया गया।

2. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 69, 70, 72बी, 73 एवं 72सी(1)(बी) खान अधिनियम 1952 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 अजय कुमार, पी.ड 02 लीलाराम, पी.ड. 03 जयप्रकाश गौदारा, पी.ड. 04 विजय कुमार, पी.ड.05 कानाराम के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना स्थल की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, दुर्घटना का साईट प्लान प्रदर्श पी–2, कारण बताओ नोटिस प्रदर्श पी–3 लगायत प्रदर्श पी–9, एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10, पोस्टमार्टम

रिपोर्ट प्रदर्श पी–11, भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन प्रदर्श पी 12, गजट नोटिफिकेशन का पार्ट सैंकेड प्रदर्श पी 12ए, क्वेरी लाइसेंस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 13, धारा 22(3) का नोटिस प्रदर्श पी 14, धारा 22(3) का नोटिस की प्रति प्रदर्श पी 14ए, परिवादी प्रदर्श पी 15 को प्रदर्शित करवाया गया।

4. अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये है कि उनके विरूद्ध परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। उनकी लापरवाही से खान पर कोई भी दुर्घटना कारित नहीं हुयी है। अभियुक्तगण की ओर से खान पर सुरक्षा के पूरे ध्यान रखे गये है उनके विरूद्ध संबंधित विभाग द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर रखी थी स्वयं विभाग द्वारा खान पर मैनेजर की नियुक्ति की गयी। परिवाद प्रस्तुतकर्ता द्वारा खान का निरीक्षण नहीं किया गया था एवं इन आधारों पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. विभाग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये कथन किये गये है कि अभियुक्तगण की लाईसेंसशुदा खान पर असुरक्षित खनन किया जा रहा था। जिसके लिये कोई क्वालीफाईड मैनेजर भी नियुक्त नहीं किया गया था खान को सही रूप से मैनेज नहीं किया था एवं खान असुरक्षित होने के संबंध में विभाग द्वारा जारी निषेधाज्ञा के बावजूद कार्य किया जा रहा था। जिससे खान पर दुर्घटना कारित हुयी व इन आधारों पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) आया अभियुक्तगण के द्वारा उलोडी रेंज क्वारी लाइसेंस सं 94 उलोडी रेंज मकराना के मार्बल खान पर किसी प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की गयी व दिनांक 27.09.2020 को नेमाराम के साथ घटित घटना में उसकी मृत्यु व अन्य मजदूर के चोट लगने की सूचना संबंधित अधिकारी को नहीं दी गयी व खान पर किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त कारण के बिना कार्य करने की अनुमति दी गयी, जिससे संकट उत्पन्न हुआ व आपको दिये गये आदेश की

अवज्ञा की गयी?

(2) यदि हां तो समुचित दण्ड क्या होगा?

8. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि परिवादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–1 अजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 03 मई 2018 से 17 सितंबर 2021 तक भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशालय के अजमेर क्षेत्र में निदेशक खान सुरक्षा के पद पर नियुक्त था। दिनांक 15.10.2020 को खबर मिली कि उल्लोडी रेंज में क्वेरी लाइसेन्स नंबर 94 उल्लोड़ी रेंज मार्बल मकराना में दिनांक 27.09.2020 को घातक दुर्घटना हुई जिसमे नेमाराम पुत्र नानूराम, उम्र 35 वर्ष पेशे से मजदूर की मृत्यु हो गई एवं उसके दो साथी कमशः कानाराम पुत्र भागुराम, उम्र 40 साल मजूदर एवं विजय कुमार पुत्र मानाराम उम्र–35 साल को गंभीर चोटें आई। उक्त सूचना के उपरात दिनांक 02.11.2020 को उसके द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई। वह दिनांक 02.11.2020 को मकराना गया और उलोडी रेंज क्वारी लाइसेन्स 94 जहां पर यह दुर्घटना हुई वहां दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा इस दुर्घटना की जांच की। उसकी जांच के दौरान श्री जे.पी गोदारा सहायक खनि अभियंता राजस्थान सरकार को भी वह उनके कार्यालय से साथ लेकर गया था। वहां उसे खान मालिक का पार्टनर मंजूर अहमद मिला जिसके उसने बयान लिए साथ ही अन्य दो घायल मजदूर विजय कुमार एवं कानाराम के बयान लिए। खान काफी असुरक्षित थी। यह खदान एक खुली खदान थी जिसका साइज लगभग 80 मीटर बाई 45 मीटर बाई 75 मीटर (गहरा) था। इस खदान में केवल एक से दो बेंच बनाई गई थी जिसकी उंचाई लगभग 05 मीटर एवं दूसरी बेंच 75 मीटर खड़ी थी जो कि काफी असुरक्षित थी जो लगभग 75 डिग्री पर झुकी हुई थी। उसके द्वारा दुर्घटनास्थल की जांच रिपोर्ट तैयार की गई जो प्रदर्श पी 01 है। दुर्घटना का साईट प्लान प्रदर्श पी 02 है। गवाह मंजूर अहमद, विजय कुमार, कानाराम के बयान उसके द्वारा मौके पर लिए गए जो शामिल पत्रावली है। हाजी मोहम्मद, हाजी मोहम्मद युसुफ रांदड ,हाजी खलील मोहम्मद रांदड, हाजी मंजूर अहमद, हाजी मकसूद अहमद, हाजी मोहम्मद रजा, श्रीमती सूफिया बेगम को दिया कारण बताओ नोटिस दिये जो प्रदर्श पी 03 लगायत 09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफ.आई.आर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10 है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 है। भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गजट नोटिफिकेशन पार्ट सैकेंड प्रदर्श पी 12ए है,

जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। क्वेरी लाइसेन्स की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 13 है जिसके साथ पार्टनर ऑफ डीड लगी है जो क्वरी लाइसेन्स का ही पार्ट है। खान निदेशक द्वारा असरफिया मिनरल्स क्वारी लाइसेंस सं 94 को खान अधिनियम की धारा 1952 की धारा 22 (3) के तहत दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–14 है जिसकी पत्रावली पर प्रति प्रदर्श पी–14ए है। इस खदान में खतरनाक स्थिति पाये जाने पर धारा खान अधिनियम की धारा 22(3) के तहत निषेधाज्ञा लगाया था जिसकी मूल प्रति संलग्न पत्रावली है। खान में प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया था, खान में बेंच नहीं बनाई गई थी, उंचाई खड़ी रखी गई थी। दुर्घटना के उपरांत भी मैनेजर नियुक्त नही था। 1952 की धारा 22 (3) में दर्शाये गये नियमों के अनुसार कार्य खदान में किया जाना नहीं पाया गया। क्रेन के एक्सल टूटने के कारण नीचे से पत्थर उठाया जा रहा था जिससे रस्सा टूटने से पत्थर नीचे गिरा जिससे नेमाराम पुत्र नानूराम उम्र 35 साल की मृत्यु हो गई एवं अन्य दो व्यक्ति कानाराम, विजय कुमार घायल हो गया। यह दर्शाती है कि खान में लापरवाही की गई एवं देखरेख के लिए सक्षम व्यक्ति नियुक्त नहीं था। इसके संबंध में जांच करके उसने परिवाद पेश किया जो प्रदर्श पी–15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **दौरा**ने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि परिवाद प्रदर्श पी–15 में खान के पड़ौस नहीं लिखे हुए है, स्वतः कहा नक्शे में दर्शाये गये है। नक्शा प्रदर्श पी–2 उसके स्वयं के हाथ से बना हुआ है। यह कहना सही है कि नक्शा प्रदर्श पी–2 में पड़ौस दर्शाये हुये नहीं है। यह कहना सही है कि दुर्घटना एक्सल टूटने व रस्से के टूटने से हुई थी। यह कहना गलत है कि एक्सल व रस्सा प्राकृतिक रूप से नहीं टूटा था। यह कहना सही है कि रस्से को किसी आदमी ने नहीं काटा, लेकिन पत्थर के वजन से टूटा था, रस्सा कमजोर होने व एक्सल कमजोर होने की वजह से भी टूट सकता है। यह सही है कि उसने एक्सल व रस्से की जांच नहीं की थी, अज खुद कहा देखने से ही पता चल गया था। दिनांक 27.09.2020 को दुर्घटना हुई और 15.10.2020 को उसके संज्ञान में आया, दिनांक 02. 11.2020 को उसने निरीक्षण किया। वे खान पर दिनांक 02.11.2020 को पहुंचा था। उन्होंने खान पर गवाह कानाराम और विजय कुमार के बयान लिये थे। यह कहना सही है कि जे.पी. गौदारा के प्रदर्श पी–2 पर हस्ताक्षर नहीं करवाये, उसने केवल उनसे दस्तावेज लिये थे। उसने खान का माप अनुमान से ही किया था क्योंकि खान खतरनाक स्थिति में थी। यह कहना सही है कि खान के पड़ौसी के बयान नहीं लिये, क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। यह कहना सही

है कि निदेशक का आदेश पत्रावली पर नहीं है, अज खुद कहा कि एक्ट के दिये गये प्रावधानों के तहत उनके द्वारा कार्यवाही की गई। वे उक्त खान पर एक बार गया था, उसी दिन मौका रिपोर्ट व बयान लिये थे। यह कहना सही है कि बाकी की कार्यवाही उसने नियमानुसार ऑफिस में ही की है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–14 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है क्योंकि यह मूल प्रति है इस पर उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्श पी–14 पर उनके कार्यालय के कमांक नंबर है। प्रदर्श पी–14 दिनांक 11.07.2013 को जारी हुआ है। इसके पश्चात् खान मालिकों ने परमिशन लेकर खान चालू की हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। वर्ष 2013 के बाद में भी उसके द्वारा उक्त खान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की गयी उसके द्वारा केवल दुर्घटना के संबंध में निरीक्षण किया गया।

9. अन्य गवाह पीडब्लयू–2 लीलाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 28.09.2020 को वह सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पुलिस थाना मकराना में पदस्थापित था। उस दिन थाना अधिकारी द्वारा मुकदमा न. 308 दर्ज कर जांच उसके हवाले की गई। साहब वाली रेंज खान नम्बर 94 में दुर्घटना हुई जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई और दो आदमी क्षतिग्रत हुए थे। धारा 287, 337 304 ए.आई.पी. में मुकदमा दर्ज कर उक्त प्रकरण की जांच उसे सुपूर्द की थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट प्रदर्श 10 है जिसमें ए टु बी थानाधिकारी मकराना के हस्ताक्षर है। जिनके साथ में काम करने से वह पहचानता है। जांच में खान मालिक व ठेकेदार की लापरवाही से यह दुर्घटना कारित हुई। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि में इस एफ.आई.आर में जांच कि थी उस संम्बध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह प्रर्दश 10 पर उसके हस्ताक्षर नही हैं। यह बात सही है कि इस फाइल में उसके कही भी बयान दर्ज नहीं है ना ही हस्ताक्षर है। वह इस खान के पड़ौस नहीं बता सकता।

10. गवाह पीडब्लयू–3 जयप्रकाश गौदारा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये है कि वह अक्टूबर 2020 में खनि. अभियंता मकराना के पद पर कार्यरत था। उल्लोड़ी रेंज की खान संख्या 94 में घटित हुई दुर्घटना के संबंध में मौका निरीक्षण के लिए डी.जी.एम.एस. अजमेर के अधिकारी अजीत कुमार कार्यालय खनि अभियंता मकराना आए थे जिन्होने खान संख्या 94 का मौका दिखाने के लिए कहा। जिस पर वह स्वयं व कार्यालय के खनि कार्यदिशक के साथ अजीत कुमार जी को खान का मौका दिखाने लेकर गये। दुर्घटना के बारे में उसे जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा क्वारी लाइसेन्स संख्या 94 के

लाइसेन्स की प्रति प्रमाणित की गई जो प्रदर्श पी–13 है। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि अजीत कुमार ने उसके कोई बयान नहीं लिए। यह कहना सही है कि पुलिस ने भी उसके कोई बयान नहीं लिए। कितनी तारीख को मौका देखने के लिए गये थे उसे दिनांक याद नहीं है। खान पर गये तब अजीत कुमार जी ने मौका रिपोर्ट बनाई थी। यह कहना सही है कि मौका रिपोर्ट पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए। यह कहना सही है कि मौका रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं सुनाई। मौका रिपोर्ट अजीत कुमार जी ने स्वयं ने ही बनाई थी। यह कहना सही है कि वह केवल अजीत कुमार जी को खान बताने के लिए गया था। फौरमैन ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं उसे आज याद नहीं है।

11. गवाह पीडब्लयू–4 विजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये है कि खान सं 94 जिसके मालिक हाजी मोहम्मद है। उक्त खान में वह भी काम करता था। उसके साथ नेमाराम, कानाराम गुर्जर भी काम करते थे। सन् 2020 में उक्त खान पर दुर्घटना हुई थी जिसमें नेमाराम की मृत्यु हो गई थी तथा कानाराम और उसके चोटें आई थी। उक्त खान पर देखरेख के लिए मैनेजर नहीं था, ठेकेदार था। उक्त दुर्घटना खान मालिकों की लापरवाही से हुई थी। खान पर सैफ्टी माईन्स के कर्मचारी आये थे। उसके बयान परबतसर थाने में हुये थे और मौके पर खान पर हुये थे। उसके अलावा कानाराम के भी बयान हुये थे। खान काफी गहरी थी, खान मालिक खान पर खनन कार्य मानव जीवन को संकट में डालकर करवा रहे थे। उसके बयान प्रदर्श पी–11 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि उसके बयान लिये तब कागज खाली था, उसने खाली कागज पर साईन किये थे। यह कहना गलत है कि उसने घटना नहीं देखी हो, घटना उसके सामने ही हुई थी। यह कहना सही है कि क्रेन का एक्सल टूटने से पत्थर गिरा था जिससे एक्सीडेंट हुआ था। यह कहना सही है कि पत्थर खान मालिक की गलती से नहीं गिरा था, पत्थर क्रेन से गिरा था।

12. गवाह पीडब्लयू–5 कानाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये है कि वह हाजी मोहम्मद याकुब की खान संख्या 94 में मजदूरी करता था। उसके साथ नेमाराम और अन्य लोग भी काम करते थे। उक्त खान में नेमाराम मजदूर की मृत्यु पत्थर गिरने से खान मालिको की लापरवाही से हो गई थी। उक्त दुर्घटना में उसके भी चोट आई थी। यह करीब आठ–दस साल पहले की बात है। उसके खान सुरक्षा अधिकारियों ने बयान लिये थे जो प्रदर्श पी–14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त खान में देख रेख के लिए कोई

मैनेजर नहीं था। खान काफी गहरी थी। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि वह सातवी–आठवीं तक पढ़ा है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–14 बयान उसे सैफ्टी माईन्स वालों ने पढ़कर नहीं सुनाया था। यह सही है कि पत्थर अपने आप ही गिरा था जो रस्सा खुलने की वजह से गिरा था। यह कहना सही है कि पत्थर गिरने में खान मालिक की कोई गलती नहीं है। खान मालिक का नाम उसे याद नहीं है। किस खान में काम करता था याद नहीं है काफी समय हो गया है।

13. उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात यह दर्शित हो रहा है कि अजीत कुमार खान सुरक्षा उपनिदेशक द्वारा न्यायालय में एक परिवाद प्रदर्श पी 15 अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिस आधार पर प्रकरण का उदभव हुआ है। उक्त परिवाद में यह तथ्य उल्लेखित किये गये थे कि अभियुक्तगण की खान क्यूएल संख्या 94 पर दिनांक 27.09.2020 को नेमाराम पुत्र कानाराम के साथ दुर्घटना घटित होने की सूचना उन्हें प्राप्त हुयी। जिसके बारे में पता करने पर यह ज्ञात हुआ की उलौडी रेंज मार्बल खान क्यूएल संख्या 94 में दुर्घटना हुयी है। जिस पर दिनांक 02.11.2020 को दुर्घटना के कारण एवं उतरदायी परिस्थितियों हेतु जांच व परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि वक्त दुर्घटना खान पर स्टील के तार की रस्सी से क्रेन के द्वारा पत्थर खींचे जा रहे थे। क्रेन का एक्सएल टूट जाने से मार्बल ब्लॉक गिर गया व मजदूरों पर गिरने से एक मजदूर की मृत्यु हो गयी व अन्य घायल हुये साथ ही जांच में यह पाया गया कि क्रेन को सही रूप से चलाया नहीं जा रहा था व सुपरवाइजर भी नहीं था। खान पर कार्य करने हेतु क्वालीफाईड मैनेजर नहीं था व विभाग के डायरेक्टर द्वारा जारी निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.2013 के बावजूद खान असुरक्षित होने के बावजूद भी खनन कार्य किया जा रहा था। उक्त परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद अभियुक्त के विरूद्ध धारा 69, 70B, 72(B), 72C(1)(B) खान अधिनियम 1952 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर उन्हें उक्त धाराओं के आरोप सारांश सुनाये गये। उभयपक्षों की ओर से दिये गये तर्कों के संबंध में पत्रावली के साक्ष्य का ओर अवलोकन करने से यह दर्शित हो रहा है कि प्रकरण के परिवादी न्यायालय में गवाह पी.ड 1 के रूप में उपस्थित हुये है। जिसमें अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद प्रदर्श पी 15 में उल्लेखित संपूर्ण तथ्यों की ताईद की है एवं कथन किये है कि उन्हें दिनांक 15.10.2020 को सूचना मिली थी कि उलौडी रेंज में क्वारी लाईसेंस नंबर 94 में दिनांक 27.09.2020 को घातक दुर्घटना हुयी जिसमें नेमाराम पुत्र नानूराम की मृत्यु हो गयी तथा

कानाराम पुत्र भागुराम व विजय पुत्र मानाराम गंभीर रूप से घायल हुये। जिस पर उसके द्वारा दिनांक 02.11.2020 को मकराना में आकर दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि खान काफी असुरक्षित थी। खान पर केवल एक से दो बेंच बनायी गयी थी। जिसकी उंचाई लगभग 5 मीटर व दूसरी बेंच 75 मीटर खडी थी। जो काफी असुरक्षित होकर 75 डिग्री पर झुकी हुयी थी। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है। साईट प्लान प्रदर्श पी 2 है। नोटिस प्रदर्श पी 3 लगायत 9 है। एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10 है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 11, गजट नोटिफिकेशन प्रदर्श पी 12 क्वारी लाईसेंस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 13, धारा 22 (3) के तहत दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 14 व परिवाद प्रदर्श पी 15 है। दौराने जिरह उक्त गवाह से पूछे गये प्रश्नों के संबंध में गवाह के यह भी कथन रहे है कि यह कहना सही है कि एक्सएल व रस्से प्राकृतिक रूप से नहीं टूटा था। यहां यह कहना सही है कि रस्से को किसी आदमी ने नहीं काटा व पत्थर की वजह से टूटा था। रस्सा कमजोर होने व एक्सएल कमजोर होने की वजह से टूट सकता है वह खान पर एक बार गया था। उसी दिन मौका रिपोर्ट और बयान लिये थे। यह कहना सही है कि खान खतरनाक थी इस संबंध में उन्हें माईनिंग विभाग में सूचना नहीं दी थी। वर्ष 2013 के बाद में उसके द्वारा उक्त खान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की गयी एवं दुर्घटना के संबंध में निरीक्षण किया गया था।

14. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित् हो रहा है कि गवाह पी.ड 3 जयप्रकाश गोदारा तत्कालीन खनि अभियंता के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुये है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि अक्टूबर 2020 में दुर्घटना के संबंध में डीजीएमएस के अधिकारी अजीत कुमार के साथ वह खान संख्या 94 पर गया व मौका देखने गया। क्वारी लाईसेंस खान खंख्या 94 के लाईसेंस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 13 है। दौराने जिरह गवाह के यह भी कथन रहे है कि मौका देखने के लिये गये थे उसकी दिनांक उसे याद नहीं है। मौका रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। फॉरमैन ने मौके पर हस्ताक्षर किया या नहीं उसे पता नहीं। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रकरण के संबंध में दुर्घटना बाबत् दर्ज करवायी गयी एफ.आई.आर. को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15–12–2020 के द्वारा समाप्त किये जाने के भी कथन किये गये है व आदेश दिनांक 15–12–2020 की प्रति को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत आदेश एस.बी. क्रिमिनल मिस्लेनियस पीटिशन नंबर 3709/2020 माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय जोधपुर के आदेश का ससम्मान अध्ययन किया गया जिसके अध्ययन से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गयी है। ऐसी दशा में स्वयं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आदेश के आधार पर भी यह दर्शित हो रहा है कि दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं 308/2020 पुलिस थाना मकराना में दर्ज हुई है।

15. गवाह पी.ड 4 विजय कुमार व पी.ड 5 कानाराम को प्रकरण को अभियोजन पक्ष की ओर से उन्हें मजदूरों के रूप में पेश किया गया है। जिनके साथ दुर्घटना कारित हुयी। जिनमें 6 गवाह पी.ड 4 विजय कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि खान पर वह, नेमाराम, कानाराम काम करते थे। 2020 में खान पर दुर्घटना हुयी जिसमें नेमाराम की मृत्यु हो गयी थी। कानाराम व उसके चोटें आयी थी। खान पर देखरेख के लिये मैनेजर नहीं था। दुर्घटना खान मालिक की लापरवाही से हुयी थी। खान काफी गहरी थी। खान मालिक खान पर खनन कार्य मानव जीवन को संकट में डालकर करवा रहा था। उसके बयान प्रदर्श पी 11 है। साथ ही गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किये गये है कि यह कहना सही है कि क्रेन का एक्सएल टूटने से पत्थर गिर गया था। यह कहना सही है कि पत्थर खान मालिक की गलती से नहीं गिरा था। इस प्रकार गवाह पी.ड 5 कानाराम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करते हुये कथन किये है कि उसके साथ कानाराम और अन्य लोग काम करते थे। खान में कानाराम मजदूर की मृत्यु हो गयी थी जो पत्थर गिरने से व खान मालिक की लापरवाही से हो गयी थी। खान की देखरेख के लिये कोई मैनेजर नहीं था। खान काफी गहरी थी। दौराने जिरह गवाह के यह भी कथन रहे है कि पत्थर अपने आप ही गिरा था। जो रस्सा खुलने की वजह से गिरा था। यह सही है कि पत्थर गिरने में खान मालिक की कोई गलती नहीं थी। गवाह पी.ड 2 लीलाराम दुर्घटना के संबंध में मकराना में दर्ज मुकदमा नंबर 308 के अनुसंधान अधिकारी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि वह 28.09.2020 को सहायक उपनिरीक्षक पद पर पुलिस थाना मकराना में पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी ने मुकदमा नंबर 308 दर्ज कर जांच उसके हवाले की गयी। खान संख्या 94 दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गयी। दो आदमी क्षतिग्रस्त हुये। दुर्घटना से संबंधित प्रकरण की जांच उसे सुपुर्द की गयी थी। जांच में खान मालिक व ठेकेदार की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुयी थी।

16. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिये गये है कि उनके विरूद्ध प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है एवं स्वयं विभाग द्वारा खान के संबंध में समय समय पर मैनेजर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये है एवं दौराने बहस इसी संबंध में दस्तावेजात को भी प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित हो रहा है कि उक्त दस्तावेजात केवल मात्र फोटोग्राफ है एवं उक्त दस्तावेजात को अभियुक्तगण की ओर से परिवादी पक्ष के गवाह की जिरह के दौरान एक स्वयं की साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। ऐसी दशा में में केवल मात्र बहस के स्तर पर फोटो प्रति दस्तावेज प्रस्तुत करने मात्र से उन्हें कोई बचाव नहीं होता है एवं उक्त दस्तावेजात इस स्तर पर पूछे जाने योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेजात में प्रदर्श पी 15 परिवाद है। जिस आधार पर प्रकरण का उदभव हुआ है। जिसमें खान संख्या 94 उलौडी रेंज पर दिनांक 27.09.2020 को दुर्घटना कारित होना बताकर नेमाराम मजदूर की मृत्यु होने व अन्य दो मजदूर के घायल होने के तथ्य बताये गये है। साथ ही परिवार में खान के असुरक्षित होने व खान पर लगी क्रेन पर सुपरवाईजर नहीं होने व खान पर मैनेजर नहीं होने के भी तथ्य बताये गये है। इस संबंध में पत्रावली का ओर अवलोकन किया गया जिससे दर्शित हो रहा है कि प्रदर्श पी 1 के रूप में अजीत कुमार खान सुरक्षा उपनिदेशक द्वारा बनायी गयी दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 नक्शा मौका को प्रदर्शित करवाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी 3 लगायत 9 के रूप में अभियुक्तगण को दिये गये नोटिस, प्रदर्श पी 10 एफआईआर, प्रदर्श पी 11 मृतक नेमाराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहन में गवाह पी.ड 1 अजीत कुमार जो परिवादी है। पी.ड 2 दुर्घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर के अनुसंधान अधिकारी थे। गवाह पी.ड 4 व 5 जो दुर्घटना में घायल हुये मजदूर है। सभी द्वारा खान संख्या 94 पर दुर्घटना कारित होने व दुर्घटना में नेमाराम नामक मजदूर की मृत्यु होने व विजय कुमार, कानाराम के शरीर पर चोट आने के कथन किये है। गवाह पी.ड 4 व 5 हस्तगत प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। उक्त गवाहन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में इन तथ्यों को स्वीकार किया गया है। खान पर देखरेख के लिये मैनेजर नहीं था। खान काफी गहरी थी। जिसमें खान मालिक द्वारा खनन कार्य करवाया जा रहा था, हालांकि उक्त दोनों गवाहन में गवाह द्वारा पूछे गये प्रश्नों में गवाह के यह कथन रहे है कि पत्थर गिरने से खान

मालिक की कोई गलती नहीं थी। पत्रावली पर आयी साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि वक्त दुर्घटना खान पर किसी भी मैनेजर आदि की नियुक्ति नहीं की गयी थी न ही क्रेन के लिये कोई आपरेटर नियुक्त था। जिस कारण खान पर जो खान कार्य किया जा रहा था व असुरक्षित था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि परिवाद प्रदर्श पी 15 में यह भी तथ्य उल्लेखित किये गये है कि वक्त दुर्घटना खान के संबंध में खान असुरक्षित होने पर दिनांक 11.07.2013 को निषेधाज्ञा जारी की गयी थी, परंतु इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आदेश को प्रदर्श पी 14 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शीत करवाया गया है जो यह दर्शित करता हो कि दिनांक 11.07.2013 को इस प्रकार का कोई आदेश पारित किया गया व उक्त आदेश की पालना में सुपरवाइजर नियुक्त न किया जा कर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया। ऐसी दशा में उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर आरोपित अपराध में से यह बिंदू अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि वक्त दुर्घटना घटनास्थल पर क्रेन को औपरेट करने के लिये कोई सुपरवाईजर नहीं था व खान पर कोई क्वालीफाईड मैनेजर भी नियुक्त नहीं था व खान के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने के बावजूद खनन कार्य करवा कर उसका उल्लंघन कर घटनास्थल पर खानन कार्य किया जा रहा था। ऐसी दशा में उक्त आधारों पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 69, 70, 72बी, 73 एवं 70सी (1)(बी) खानं अधिनियम 1952 को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। जिस आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

17. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण 1. हाजी मोहम्मद याकुब सिसोदिया पुत्र छोटूजी सिसोदिया उम्र 72 वर्ष निवासी मिनारा मस्जिद के पास मकराना जिला डीडवाना कुचामन 2. हाजी मोहम्मद युसुफ रांदड पुत्र अब्दुल हकीम उम्र 75 वर्ष निवासी मिनारा मस्जिद के पास मकराना जिला डीडवाना कुचामन 3. हाजी खलील अहमद रान्दड पुत्र हाजी सराजुदीन रान्दड उम्र 62 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन 4. हाजी मंजूर अहमद पुत्र मोहम्मद युसुफ रान्दड उम्र 55 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन 5. हाजी मकसूद अहमद पुत्र मोहम्मद युसुफ रान्दड उम्र 48 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन6. हाजी अहमद रजा पुत्र मोहम्मद

युसुफ रान्दड उम्र 38 वर्ष निवासी अमर होटल के सामने मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन 7. सुफिया बेगम पत्नि हाजी मोहम्मद उमर उम्र 70 वर्ष निवासी होटल मोती महल के पास मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 69, 70, 72बी, 73 एवं 70सी (1)(बी) खानं अधिनियम 1952 में दोषसिद्ध किया जाता है ।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

दण्ड पर सुनवाई एवं दण्डादेश

18. सजा के बिन्दु पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रहे है कि अभियुक्तगण सभी के संबंध में पूर्व में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है न ही उन्हें दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण ने जान बूझकर ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे यह दुर्घटना कारित हुयी है। अभियुक्तगण सभी पर पारिवारिक जिम्मेदारिया है एवं तत्काल कारावास से दण्डित किये जाने अभियुक्तगण को आगामी जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा व इन आधारों पर अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

19. इसके विपरीत परिवादी की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये अभियुक्तगण को तत्काल कारावास से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

20. उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 69, 70, 72बी, 73 एवं 70सी (1)(बी) खानं अधिनियम 1952 में दोषसिद्ध किया गया है पूर्व में किये गये विवेचन के आधार पर हालांकि यह दर्शित हुआ है कि दुर्घटना अभियुक्तगण द्वारा जान बुझकर नहीं की गयी है, अपितु अभियुक्तगण द्वारा खान पर सुरक्षा के युक्तियुक्त इंतजाम नहीं करने व मैनेजर सुपरवाईजर द्वारा नियुक्त नहीं करने पर से कारित हुयी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्ववर्ति आपराधिक आचरण के भी कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध आयु, पूर्ववर्ति आचरण को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को तत्काल कारावास से दण्डित किये जाने के स्थान पर परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित दर्शित हो रहा है।

–दण्डादेश–

21. अतः अभियुक्तगण 1. हाजी मोहम्मद याकुब सिसोदिया पुत्र छोटूजी सिसोदिया उम्र 72 वर्ष निवासी मिनारा मस्जिद के पास मकराना जिला डीडवाना कुचामन 2. हाजी मोहम्मद युसुफ रांदड पुत्र अब्दुल हकीम उम्र 75 वर्ष निवासी मिनारा मस्जिद के पास मकराना जिला डीडवाना कुचामन 3. हाजी खलील अहमद रान्दड पुत्र हाजी सराजुदीन रान्दड उम्र 62 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन 4. हाजी मंजूर अहमद पुत्र मोहम्मद युसुफ रान्दड उम्र 55 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन 5. हाजी मकसूद अहमद पुत्र मोहम्मद युसुफ रान्दड उम्र 48 वर्ष निवासी मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन 6. हाजी अहमद रजा पुत्र मोहम्मद युसुफ रान्दड उम्र 38 वर्ष निवासी अमर होटल के सामने मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन 7. सुफिया बेगम पत्नि हाजी मोहम्मद उमर उम्र 70 वर्ष निवासी होटल मोती महल के पास मंगलाना रोड़ मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत 69, 70, 72बी, 73 एवं 70सी (1)(बी) खानं अधिनियम 1952 दोषी करार दिये जाने पर उसे तत्काल किसी कारावास की सजा या अर्थदण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण 20,000/–रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष की अवधि के लिए इस आशय का पेश कर स्वीकृत व तस्दीक करावे कि वे शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे व जब भी न्यायालय तलब करेगा उपस्थित आएगे व दिये जाने वाले दण्ड को भुगतने को तैयार रहेगे तो उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

22. साथ ही अभियुक्तगण परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक अभियुत दो–दो हजार रूपये अभियोजन व्यय के भी न्यायालय में जमा करायेगा, जो बाद गुजरने मियाद अपील राजकोष में जमा किये जाये। अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

23. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय में

उपस्थिति बाबत् अपने 437ए दं0प्र0सं0 के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

24. निर्णय एवं दंडादेश आज दिनांक 01.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।